सार्वजनिक सूचना

<u>विषय: नौएडा क्षेत्र मैला ढोने की प्रथा से मुक्त (Freefrom Manual Scavenging) की सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नौएडा प्राधिकरण स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य 2.1.2 Eradication of Manual Scavenging" की प्राप्ति हेतु नौएडा प्राधिकरण ने बृहद स्तर पर कार्य किया है |

तदक्रम में प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के अधिनियम **"The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013"** में निर्देशित सभी सुरक्षा एवं सावधानी का अनुपालनकिया जा रहा है |

समस्त को सूचित किया जाता है कि सम्पूर्ण नौएडा क्षेत्र सीवर लाइन से जुड़ा है, जिससेसमस्त शौचालय सीवर नेटवर्क से जुड़े हैं | सीवर से प्राप्त मल का उपचार नौएडा के 6 एसटीपी के माध्यम से उपचारित किया जाता है किसी भी प्रकार से मल खुले में नहीं डाला जाता है |इसके अतिरिक्त नौएडा क्षेत्र में कोई भी शुष्क/ बहाऊ शौचालय नहीं है |

साथ ही यह भी अवगत करना कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से नौएडा में हाथ से मैला ढोने की प्रथा की कोई घटना (No Incidence of Manual Scavenging) नहीं हुई है |

अत: नौएडा क्षेत्र मैला ढोने की प्रथा से मुक्त (Freefrom Manual Scavenging)है

यह सूचना सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा